संख्या–569 प0अ0/2003–276 पर्य0/2003

प्रेषक,

आनन्द वर्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 30 जनवरी, 2004

विषय– वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत चिनियालीसौड़ में जनता यात्री निवास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–112/2–6–258/2003 दिनॉक 8 जुलाई, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अन्तर्गत केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत चिनियालीसौड़ में जनता यात्री निवास के निर्माण हेतु रूपये 74.04 लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 71.89 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के विपरीत रू0 8 लाख अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की सम्पूर्ण अवशेष धनराशि रू0 16.80 लाख (रूपये सोलह लाख अस्सी हजार मात्र) अर्थात कुल अवशेष रू0 24.80 लाख (रूपये चौबीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । इसके उपरांत योजना में कोई भी पुरीक्षण देयता अनुमन्य न होगी।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/ मानचित्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, बिना प्राविधानित स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनॉक 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो शासन को उक्त तिथि को समर्पित कर दी जायेगी। कार्य के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध में पैनाल्टी क्लॉज रखा जाना भी सुनिश्चित करें।

5– समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।

6– व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरांत कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय। केन्द्रांश की प्रत्याशा में केन्द्रांश रू0 8 लाख की स्वीकृति इस दृष्टि से दी जा रही है कि योजना शीघ्र पूर्ण कर उपयोग में लाया जा सके। अतः केन्द्रांश यह धनराशि प्राप्त होने पर तत्काल राजकोष में जमा कर दी जाय व शासन को अवगत करा दिया जाय।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–2453 /वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 20 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द वर्धन)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004 –276 पर्य0/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
5– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
8– परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0 जल निगम, ऋषिकेश।
9– वित्त अनुभाग–3।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23/01

(आनन्द वर्धन)
अपर सचिव।